

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खंड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 181] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 7, 1973/श्रावण 16, 1895

No. 181] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 7, 1973/SRAVANA 16, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके :

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 7th August 1973

SUBJECT.—Imports under the Indo-Swedish Development Co-operation Agreement, 1973.

No. 127-ITC(PN)/73.—The terms and conditions governing issuance of import licences under the Indo-Swedish Development Co-operation Agreement 1973 consisting of two segments (i) General imports, and (ii) Imports from Sweden; as given in the Appendix to this Public Notice are notified for information.

APPENDIX

Preamble

Swedish Assistance under the Indo-Swedish Development Co-operation Agreement, 1973, consists of two segments—(i) general imports; and (ii) imports from Sweden. In the case of first segment, imports can be effected from anywhere in the world on the basis of competitive global tendering and the assistance is in the form of a loan or credit, but in the case of the second segment, the imports can be effected only from Sweden i.e. the goods must be manufactured in Sweden.

Import Licence

1. The import licence will be issued on CIF basis, with an initial validity period of four months for contracting and twelve months for completing shipments as well as payments. All payments must be completed within a month from the expiry of the licence.

2. Each import licence will bear a superscription, "Indo-Swedish Development Co-operation Agreement 1973—General Imports" or "Indo-Swedish Development Co-operation Agreement 1973—Imports from Sweden" as the case may be. The suffixes in the licence code classification number will be "R/SW". These will also be repeated in the letter from the Chief Controller Imports and Exports forwarding the import licence.

3. Within a fortnight of the receipt of the import licence, the importer should intimate to the Department of Economic Affairs (WE-I Section) the fact of receipt of the import licence indicating the number, date and value of the import licence and likely date by which the contract documents would be furnished.

4. The condition regarding contracting shall not be deemed to have been complied with unless as complete contract documents, as provided in para 20 below, are furnished within the stipulated period of four months.

5. Where this stipulation is not complied with within four months, the import licence will be deemed to have become invalid. The import licence, may, however, be revalidated on an application by the party, alongwith the licence in original to the licensing authority giving reasons for not complying with the requirement in time.

6. The request for revalidation would be considered by the licensing authority on merits and the licence will be revalidated for contracting for a further period not exceeding two months. Any revalidation beyond the period will require the prior approval of the Department of Economic Affairs (WE-I Section).

Contracting

7. A contract will normally comprise an Agreement signed by both the parties viz., the Indian importer and foreign supplier or it may comprise the order placed by the Indian importer and the letter of acceptance thereof in unequivocal terms by the foreign supplier.

8. A contract comprising a series of correspondence between the two parties frequently amending/revising the various provisions will not be accepted. In such cases, it is necessary to prepare a final document including therein the terms agreed to by both the parties and signed as such.

Terms of Contract

9. *General.*—The contract should be placed on a c.i.f. or C&F basis and should clearly indicate F.O.B. price, insurance charges and freight separately. All of these should be indicated in the foreign currency in which the payments are to be made. Contract must be entered only on C&F basis, by the Government agency or a public sector undertaking. If any importer desires to enter into a contract on f.o.b. basis, he should seek prior permission of the Department of Economic Affairs (WE-I Section), Ministry of Finance, New Delhi giving reasons for doing so.

10. If any commission is to be paid to the Indian agent of the foreign supplier, it will be shown separately from the value of the contract. The Indian agent's commission will be paid in Indian rupees but will be set off against the total value of the import licence.

11. The value of the contract should be expressed in the currency in which the payment is to be made to the foreign supplier. The conversion of these amounts into Rupees shall be made at the central rates of exchange as indicated in Annexure I. These rates of exchange are, however, subject to revision.

12. *Value Limits of Contracts.*—The value of each contract should not be less than for an amount equivalent to Rupees fifty thousand.

13. *Origin of Goods.*—(i) In the case of first segment i.e., general imports segment, referred in the preamble, imports can be made from any country without

restriction and should as far as practicable be on the international competitive basis. The licensee should while submitting the contract documents, referred in para 20(iii) below, furnish a statement of the bids received and the reasons for selecting the particular supplier and goods.

(ii) The goods under the second segment i.e. imports from Sweden, referred to in the preamble should be the goods manufactured in Sweden. A stipulation as to the Swedish manufacture of goods shall be incorporated in the contract.

14. *Shipments*.—The contract should spell out delivery/shipping schedules in specific terms indicating the month of each such delivery/shipment, as closely as possible.

Any subsequent deviation from the shipping schedule should be promptly notified to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, WE-I Section, North Block, New Delhi.

15. *Payment Terms*.—The Swedish Credit does not provide for deferred payments. Full payment will therefore be made to the foreign supplier in cash against shipments as indicated in the following paragraphs.

16. *Advance payments*.—An advance payment upto a maximum of 10 per cent of the FOB price of the supplies can be provided at the time of the contract coming into force.

17. *Other payments*.—The amount left after the above payment will be payable pro-rata according to the value of goods covered by each shipment, on the basis of the shipping schedule.

18. It should specifically be ensured that the terms of payment, e.g. amount payable on the contract becoming effective, and that payable against shipments etc. are set out in the precise terms in the contract with details showing the schedule of deliveries/payments etc. The value of the contract should invariably be broken down into F.O.B. value, freight and insurance elements. The contract should also incorporate the provision indicated in paragraph 13(ii) above, if necessary.

19. *Customary Guarantee*.—The importer may arrange and provide for in the agreement/customary guarantee(s) which may be necessary for safeguarding his interest.

Submission of Contract Documents

20. Within 20 days of the conclusion of the contract the importer should send a letter accompanied by the following documents to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (WE-I) Section, North Block, New Delhi:

- (i) Four certified copies of the contract and any further amendment(s) duly executed in English language and signed by both the Indian importer and the foreign supplier.
- (ii) Two photostat copies of the import licence valid for contracting on the date of execution of the contract/acceptance by foreign supplier of the order placed on him by the importer.
- (iii) In the case of general imports segment, the statement mentioned in para 13(i) above.
- (iv) Other particulars stipulated in Annexure II in duplicate.

The contract will be processed further only after all these documents have been furnished by the importer.

Letter of Authority

21. If the contract is complete, the documents etc. are in order, the import licence is valid for contracting and is considered eligible for financing under the Indo-Swedish Development Co-operation Agreement, 1973, Ministry of Finance will issue a letter of authority as in Annexure III.

Method of Payments

22. (i) Payments to the foreign suppliers are arranged through normal banking channels by establishing a letter of credit or on collection basis.

(ii) The Indian importer will establish a letter of credit only after the letter of authority referred to in the preceding paragraph has been issued by the Ministry of Finance and such letter of credit will strictly be in accordance with such letter of authority.

(iii) The authorised dealer in foreign exchange (Indian bankers) will not provide facilities for establishing a letter of credit to any Indian importer unless a letter of authority in this regard has been received by it direct from the Ministry of Finance and the Indian banker will provide such facilities or allow remittances only in accordance with the instructions contained in such a letter of authority.

23. It will be the responsibility of the foreign banker with whom the letter of credit has been established, to forward to the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi, one set of non-negotiable invoices/shipping documents at the same time as the foreign banker forwards such sets of documents to the Indian/banker which opened the letter of credit. It is necessary for the Indian Banker to include a provision to this effect in the letter of credit to be established by him. The fact that one set of non-negotiable shipping documents has been so forwarded will be noted down by the foreign bankers in the covering letter to the Indian banker. The latter (Indian banker) will check this point in particular before taking further action on the documents.

24. (i) The Indian importer will, at the time of arranging payments, fill in an additional copy of Form A*, for being sent by their Indian banker direct to the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, New Delhi under advice to the importer, as soon as the payment is made.

(ii) Both the Indian importer and Indian banker will ensure that all the requisite information is given correctly, fully and in specific terms against the relevant columns.

(iii) Form 'A' will further bear the signature of the authorised officer of the Indian banker and stamped with its official seal.

NOTE.—These arrangements do not absolve the licensee of his responsibility to ensure that all forms "A" are despatched promptly by his bank to the Ministry of Finance.

25. *Refunds.*—If any refunds are received by the Indian Importers from the foreign supplier or the insurer, a full report showing the amounts received, together with relevant particulars, will be sent to the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance in the form given in Annexure IV.

Miscellaneous

26. The goods imported under the licence should be used with due diligence and efficiency. For a minimum period of four years from the date of delivery of the goods imported under the licence, the importer shall (i) maintain all the relevant records necessary to identify such goods and their use, (ii) furnish or cause to be furnished to the Government of India such information as may be requested, concerning the expenditure of the proceeds of the Credit and the goods and services acquired out of such proceeds and (iii) enable representatives of the Government of India and the Swedish International Development Authority to study the use of such goods and services if they so request.

27. The Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, which may arise, between the Indian importer and the foreign suppliers.

28. The Indian importer shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by Government from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the credit agreement, with the Swedish Authorities.

29. Any break or violation of any of the conditions prescribed herein will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act, 1947, and orders issued thereunder.

*Application form prescribed by the Reserve Bank of India for remittances.

ANNEXURE I

(Para II)

Table of Central Rates of Exchange

Country	currency	One unit of foreign currency equals (rupees)
Australia	Dollar (A)	8.851
Austria	Schilling	0.312
Belgium	Franc	0.162
Denmark	Kroner	1.043
France	Franc	1.422
Italy	Lira	0.013
Japan	Yen	0.024
Netherlands	Guilder	2.243
New Zealand	Dollar (N)	8.851
Norway	Kroner	1.095
Sweden.	Kroner	1.312
Switzerland	Franc	1.896
West Germany	DM	2.259
USA	Dollar	7.279
U.K.	Pound	18.968
Yugoslavia	Dinar	0.428

ANNEXURE II

(in duplicate)

[Para 20(iv)]

To

The Secretary,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
WE-I Section, North Block,
New Delhi-1.

SUBJECT :—*Indo-Swedish Development Co-operation Agreement, 1973.—Import under the*

Sir,

In connection with the import of _____
(short

description of the goods or services)
under the above credit, we furnish the following particulars :—

- (a) Name and Address of importer.
- (b) Import Licence :
 - (i) Number
 - (ii) Date
 - (iii) Amount
 - (iv) Valid upto

- (a) for contracting
 (b) for shipment
 (c) Name and address of the foreign suppliers ;
 (d) Date of the contract :
 or
 Date of Suppliers final letter of acceptance of the order
 (e) Short description of the goods to be imported :

	In foreign currency	In equivalent Indian Rupees
(f) Value of the contract: FOB Price :		
Freight:		
Insurance:		

TOTAL :

	Date	Value of shipment in foreign currency
(g) The different dates on which the equipment will be shipped or services performed the value of each shipment, or service performed, based on the delivery schedules as stipulated in the contract :		

	Date	Amount in foreign currency
(h) The date on which payments under the contract will fall due		
(i) In respect of advance payment		
(ii) Other payments.		
(i) Name and full address of the dealer bank authorised in foreign exchange through whom arrangements for opening a letter of credit will be made :		
(j) Name and full address of the foreign banker with whom the letter of credit will be established :		

2. Four certified copies of the contract (or each of the order and the letter of acceptance) and of the amendment (if any), and two *photostat* copies of the import licence are enclosed.

3. You are requested to get the contract approved for financing under the Indo-Swedish Development Co-operation Agreement, 1973 and issue authorisation for payments to the suppliers through their bankers, mentioned above.

Yours faithfully,

Licencee

ANNEXURE—III

(Para 21)

No.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

Letter of Authority
No. _____

To

(Indian Banker)

SUBJECT :—*Contract entered under Indo-Swedish Development Co-operation Agreement*
1973—Segment.

Dear Sirs,

Messrs. _____

_____ (Indian Importer)
have entered into a contract with Messrs. __________ (foreign supplier)
for the supply of _____

_____ for the amount of _____

(_____)

_____ (in words)
operation Agreement, 1973 against Licence No. _____ Indo/Swedish Development Co-
dated _____ issued thereunder for
the value of Rs. (_____)
(in figures)_____ (in words)
A copy of the contract is enclosed

2. You are authorised to open a letter of credit in favour of Messrs. _____

_____ (foreign supplier)
through the r bank-
kers, viz. __________ (foreign banker)
within a period of thirty days from the date of this letter, under intimation to this Ministry.

3. Before opening the Letter of Credit, it may please be ensured that the Indian importer is in possession of a valid import licence.

4. In terms of para 10 Section VII of the Exchange Control Manual, you are required, to ensure that the date of the expiry of the Letter of Credit is not later than forty-five (45) days after the final date for shipment as stated in the relative import licence.

5. The letter of credit will also provide that Messrs. _____
(foreign banker)

will forward directly to the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance, Jevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi, one set of non-negotiable shipping document as each payment is made.

6. Receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,

Under Secretary to the Government of India

Copy with a copy of the contract forwarded to :—

1. Reserve Bank of India, Exchange Control Department

(name of place)

Copy forwarded for information:—

1.

(Indian importer)

2.

(foreign supplier)

3.

(foreign bank)

It is requested that on each payment, one set of shipping and other documents (non-negotiable) alongwith payment advice may be forwarded direct to the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi, (INDIA).

2. Controller of Aid Accounts with a copy of the contract and that of the import licence.

(Under Secretary to the Government of India.

ANNEXURE IV

(Para 25)

Report showing details of refunds received from Foreign Suppliers / Shippers / Insurers toward^s settlement of claims for short landing, damages, etc. in respect of Imports.

1. Name of the Indian importer.
2. No. and date of import licence.
3. Value of the import licence.
4. No. and date of letter of Authority.
5. Amount of refund received.
6. Nature and refund.
(give brief details)
7. Reference to the relative Forms 'A' under which payment was made initially to the foreign suppliers (indicate name of the Indian Banker and reference to their letter No. and date, forwarding form 'A' to Ministry of Finance).
8. Whether or not refund received are to be utilised for replacement of goods; if not, confirm that amount has been actually received by inward remittance of foreign exchange and encashed into rupees.
9. Any other necessary particulars.

Signature of the Authorised
Officer of the importing firm.

To

The Controller of Aid Accounts,
Ministry of Finance, (Department of Economic
Affairs), Jeevan Deep Building, Parliament
Street, New Delhi.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1973

विषय : भारत—स्वीडन विकास सहयोग समझौता—1973 के अन्तर्गत आयात ।

संख्या 127-आई०टी० सी० (पीएन)/73 दो खण्डों (1) सामान्य आयात और (2) स्वीडन से आयात में मुक्त भारत-स्वीडन विकास सहयोग समझौता, 1973 के

अन्तर्गत आयात लाइसेंसों के निर्गमन को नियंत्रित करने वाली जैसी शर्तें प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं वे जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती हैं।

आमुख

भारत-स्वीडन विकास सहयोग समझौता, 1973 के अन्तर्गत स्वीडन की सहायता दो खण्डों से युक्त है—(1) सामान्य आयात और (2) स्वीडन से आयात। प्रथम खंड के मामले में प्रतियोगी विश्वव्यापी निविदा के आधार पर आयात विश्व में कहीं से भी किए जा सकते हैं और सहायता ऋण या क्रेडिट के रूप में है, परन्तु द्वितीय खंड के मामले में आयात केवल स्वीडन से किए जा सकते हैं अर्थात् माल का स्वीडन में विनिर्मित होना आवश्यक है।

आयात लाइसेंस

1. आयात लाइसेंस लागत बीमा भाड़ा के आधार पर संविदा करने के लिए 4 महीने का और पोतलदान और भुगतान पूर्ण करने के लिए 12 महीने की प्रारम्भिक वैधता अवधि के साथ जारी किए जाएंगे। सभी भुगतान लाइसेंस की वैधता अवधि समाप्त होने से एक महीने के भीतर अवश्य पूर्ण करने चाहिए।

2. प्रत्येक आयात लाइसेंस पर एक शीर्षक "भारत-स्वीडन विकास सहयोग समझौता 1973--सामान्य आयात" अथवा 'भारत-स्वीडन विकास सहयोग समझौता, 1973--स्वीडन से आयात' जैसा भी मामला हो, होगा। लाइसेंस कोड वर्गीकरण संख्या में प्रत्यय "आर/एस डब्ल्यू" होंगे। ये प्रत्यय आयात लाइसेंस भेजते हुए मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के पूर्व में भी दुहराए जाएंगे।

3. आयात लाइसेंस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर आयातक को आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य तथा सम्भाव्य तिथि जिस तक संविदा-दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे निर्दिष्ट करते हुए आयात लाइसेंस की प्राप्ति के तथ्य से अधिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-1 अनुभाग) को सूचित करना चाहिए।

4. जब तक नीचे के पैरा 20 में यथा निर्दिष्ट 4 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर पूर्ण संविदा-दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे तब तक संविदा करने से सम्बन्धित शर्त का पालन किया गया नहीं माना जाएगा।

5. यदि इस शर्त का पालन 4 महीने के भीतर नहीं किया जाएगा तो आयात लाइसेंस अवैध हो गया समझा जाएगा। लेकिन, पार्टी द्वारा समय के भीतर शर्त का पालन न करने के कारण देते हुए मूल लाइसेंस के साथ एक आवेदन पत्र लाइसेंस प्राधिकारी को देने पर आयात लाइसेंस पुनर्वैध किया जा सकता है।

6. पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन पर लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा गुणों के आधार पर विचार किया जाएगा और लाइसेंस संविदा करने के लिए अधिक से अधिक अगले दो महीनों की अवधि के लिए पुनर्वैध किया जाएगा। इस अवधि से आगे किसी प्रकार का पुनर्वैधीकरण कराने के लिए अधिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-1 अनुभाग) के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

संविदा करना

7. एक संविदा में सामान्यतः दोनों पार्टियों अर्थात् भारतीय आयातक और विदेशी संभरक द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता शामिल होगा अथवा इसमें भारतीय आयातक द्वारा दिया गया आदेश और विदेशी संभरक द्वारा उस आदेश की स्पष्ट शब्दों में स्वीकृति का पत्र हो सकता है।

8. दो पार्टियों के बीच विभिन्न शर्तों को बार बार संशोधित/परिशोधित करने से सम्बन्धित पत्र व्यवहार के अनुक्रम में समाविष्ट संविदा स्वीकृत नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में, दोनों पार्टियों द्वारा स्वीकृत शर्तों सहित और हस्ताक्षरित दस्तावेज तैयार करना आवश्यक है।

संविदा की शर्तें

9. सामान्य :—संविदा लागत-बोमा-भाड़ा या लागत और भाड़ा के आधार पर होनी चाहिए और उसमें जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य, बोमा प्रभार और भाड़ा अलग अलग स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होने चाहिए। ये सब उस विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट होने चाहिए जिसमें भुगतान करने हैं। संविदा सरकारी अभिकर्ण या मार्चजनिक् क्षेत्र मस्थान द्वारा केवल लागत और भाड़ा के आधार पर ही होनी चाहिए। यदि कोई आयातक जहाज पर्यन्त निःशुल्क के आधार पर कोई संविदा करने का इच्छुक है, तो उसे ऐसा करने के लिए कारण देते हुए आधिकार्य विभाग (डब्ल्यू ई-1 अनुभाग), वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली का पूर्व अनुमोदन मांगना चाहिए।

10. यदि विदेशी संभरक के भारतीय एजेंट को कोई कमीशन चुकाया जाना है, तो उसे संविदा के मूल्य से अलग दिखाया जाएगा। भारतीय एजेंट का कमीशन भारतीय रुपये में चुकाया जाएगा, परन्तु आयात लाइसेंस के कुल मूल्य के प्रति समंजित किया जाएगा।

11. संविदा का मूल्य उसी मुद्रा में व्यक्त होना चाहिए जिसमें विदेशी संभरक को भुगतान किया जाना है। इन धनराशियों का रुपये में परिवर्तन अनुबन्ध 1 में यथा निर्दिष्ट मुद्रा विनिमय की केन्द्रीय दरों पर किया जाएगा। लेकिन, मुद्रा-विनिमय की ये दरें परिवर्तन के अधीन हैं।

12. संविदाओं की मूल्य सीमाएं :—प्रत्येक संविदा का मूल्य 50 हजार के रुपये के बराबर की धन राशि से कम नहीं होना चाहिए।

13. माल का उद्गम स्थान :—(1) प्रथम खण्ड अर्थात् आमुख में उल्लिखित सामान्य आयात खण्ड के मामले में, किसी भी देश से बिना प्रतिबन्ध के आयात किए जा सकते हैं और ये आयात जहां तक साध्य हो, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आधार पर होने चाहिए। लाइसेंसधारी को नीचे के पैरा 20 (3) में उल्लिखित संविदा दस्तावेज प्रस्तुत करते समय प्राप्त की गई बोलियों और विशेष संभरक तथा माल का चुनाव करने के लिए कारणों का एक विवरण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(2) आमुख में उल्लिखित द्वितीय खण्ड अर्थात् स्वीडन में आयात के अधीन माल स्वीडन में विनिर्मित होना चाहिए। माल के स्वीडन में विनिर्मित होने के सम्बन्ध में एक अनुबन्ध समाविष्ट किया जाएगा।

14. पोतलदान:—जहां तक संभव हो, प्रत्येक ऐसे वितरण पोत लदान के महीने को संवेदित करते हुए संविदा में वितरण/पोत परिवहन सम्बन्धी अनुसूचियां विशिष्ट शब्दों में होनी चाहिए।

पोत लदान अनुसूची में बाद में होने वाले किसी व्यक्तिगत से तुरन्त वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, डब्ल्यू ई-1 अनुभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को सूचित करना चाहिए।

15. भुगतान की शर्तें:—स्वीडन क्रेडिट में बिलम्बित भुगतानों की व्यवस्था नहीं है। इसलिए विदेशी संभरणों को पोत लदानों के लिए नकद में पूर्ण भुगतान निम्नलिखित कड़िकाओं में या निर्दिष्ट किए जाएंगे।

16. अग्रिम भुगतान:—संभरणों के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के अधिक से अधिक 10 प्रतिशत तक अग्रिम भुगतान संविदा लागू होने के समय प्रदान किया जा सकता है।

17. अन्य भुगतान:—उपर्युक्त भुगतानों के बाद शेष धनराशि प्रत्येक पोत लदान के माल के मूल्य के अनुसार पोत परिवहन अनुसूची के आधार पर यथा अनुपात देय होगी।

18. यह विशेष रूप से सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि भुगतान की शर्तों अर्थात् संविदा प्रभावी होने पर देय धनराशि और यह कि पोत लदानों आदि के लिए देय धनराशि संविदा में यथार्थ शब्दों में विस्तार के साथ वितरणों/भुगतानों आदि की अनुसूचियां प्रदर्शित करने हुए निर्दिष्ट की गई है। संविदा का मूल्य जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य, भाड़ा और बीमा तत्वों में यथार्थ रूप से अलग अलग होना चाहिए। संविदा में उपर्युक्त पैरा 13 (2) में निर्दिष्ट की गई शर्त भी यदि आवश्यक हो, समाविष्ट होनी चाहिए।

19. प्रथागत गारंटी:—समझौते में जो प्रथागत गारंटी(यां) आयातक के हित की सुरक्षा के लिए आवश्यक हों उनका वह प्रबन्ध और व्यवस्था कर सकता है।

संविदा-दस्तावेजों को प्रस्तुत करना

20. संविदा तय किए जाने के 20 दिनों के भीतर ही आयातक को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ एक पत्र वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-1 अनुभाग) नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेजना चाहिए:—

(1) अंग्रेजी भाषा में विधिदत्त निष्पादित और भारतीय आयातक तथा विदेशी संभरण दोनों द्वारा हस्ताक्षरित संविदा की और आगे होने वाले किसी प्रकार के संशोधन की चार प्रमाणित प्रतियां।

(2) संविदा के निष्पादन / आयातक द्वारा दिए गए आदेश की विदेशी संभरण द्वारा स्वीकृति की तिथि को संविदा करने के लिए वैध आयात लाइसेंस की दो फोटोस्टेट प्रतियां।

(3) सामान्य आयात खण्ड के मामले में उपर्युक्त पैरा 13 (1) में वर्णित विवरण पत्र ।

(4) दो प्रतियों में अनुबन्ध-2 में निर्धारित अन्य व्योरे ।

संविदा पर आगे कार्रवाई केवल तभी की जाएगी जब कि आयातक द्वारा ये सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए हों ।

प्राधिकार-पत्र

21. यदि संविदा पूर्ण है, दस्तावेज आदि सही है, आयात लाइसेंस संविदा करने के लिए बंध है और भारत-स्वीडन विकास सहयोग समझौता, 1973 के अन्तर्गत वित्तदान के लिए उपयुक्त समझा जाता है तो वित्त मंत्रालय अनुबन्ध-3 जैसा एक प्राधिकार पत्र जारी करेगा ।

भुगतानों के तरीके

22. (1) विदेशी संभरकों को भुगतानों की व्यवस्था साख-पत्र स्थापित करके सामान्य बैंक सूत्रों के माध्यम से या अर्थ संग्रह के आधार पर की जाएगी ।

(2) भारतीय आयातक केवल तब साख-पत्र स्थापित करेगा जब कि पिछले पैरा में उल्लिखित प्राधिकार-पत्र वित्त मंत्रालय द्वारा जारी कर दिया गया हो और यह साख-पत्र सर्वथा ऐसे प्राधिकार-पत्र के अनुसार होगा ।

(3) विदेशी मुद्रा विनियम का प्राधिकृत व्यापारी भारतीय बैंकर किसी भारतीय आयातक को साख-पत्र स्थापित करने के लिए तब तक सुविधाएं प्रदान नहीं करेगा जब तक उसे इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय से एक प्राधिकार-पत्र सीधे प्राप्त न हो गया हो और भारतीय बैंकर केवल ऐसे प्राधिकार-पत्र में निहित अनुदेशों के अनुसार ही ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा या घन परेषणों की अनुमति देगा ।

23. उस विदेशी बैंकर का जिस के साथ साख-पत्र स्थापित किया गया है यह उत्तर-दायत्व होगा कि वह अपरक्राम्य बीजकों । पोत परिवहन दस्तावेजों का एक सेट सहायता लेखा नियंत्रण, वित्त मंत्रालय, जीवन दीप बिल्डिंग, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को ठीक उसी समय भेजेगा जिस समय वह ऐसे दस्तावेज भारतीय उस बैंकर को भेजता है जिस ने साख-पत्र खोला है । भारतीय बैंकर के लिए इस सम्बन्ध में उस के द्वारा स्थापित किए जाने वाले साख-पत्र में एक शर्त शामिल करना आवश्यक है । तथ्य यह है कि इस प्रकार अपरक्राम्य पोत परिवहन दस्तावेजों के भेजे गए सेट को विदेशी बैंकर द्वारा भारतीय बैंकर को भेजे गए व्याख्यात्मक पत्र में लिखा जाएगा । बाव वाला (भारतीय बैंकर) दस्तावेजों पर आगे कार्रवाई करने से पहले इस बात की विशेष रूप से जांच करेगा ।

24. (1) भुगतानों की व्यवस्था करते समय भारतीय आयातक फार्म 'ए'* की एक अतिरिक्त प्रति भरेगा जो उस के बैंकर द्वारा भुगतान होते ही आयातक को सूचना देते हुए-सहायता लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, जीवन दीप बिल्डिंग, नई दिल्ली को भेजी जाएगी ।

* रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा घन परेषणों के लिए निर्धारित आवेदन पत्र का प्रपत्र ।

(2) भारतीय आयातक और भारतीय बैंकर दोनों यह सुनिश्चित करेंगे कि अपेक्षित सूचना सही, पूर्ण और विशिष्ट शब्दों में सम्बन्धित कालमों के सामने दी गई है।

(3) फार्म 'ए' पर भारतीय बैंकर के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर भी इस के कार्यालय की मोहर के साथ होंगे।

टिप्पणी :—इन व्यवस्थाओं में यह सुनिश्चित करना लाइसेंसधारी का अपना उत्तर-दायित्व मन्निहित नहीं है कि सभी फार्म 'ए' उस के बैंक द्वारा वित्त मंत्रालय को तुरन्त भेजे गए हैं।

25. **बन बापसी.**—यदि विदेशी संचरक या बीमा कर्ता से भारतीय आयातकों द्वारा कोई धन वापसी प्राप्त की जाती है तो सम्बन्धित व्यौरों के साथ प्राप्त की गई धनराशियों को प्रदर्शित करते हुए एक पूर्ण रिपोर्ट अनुबन्ध-4 में दिए गए प्रपत्र में सहायता लेखा नियन्त्रक, वित्त मंत्रालय को भेजी जाएगी।

विधि

26. लाइसेंस के अधीन आयात किए गए माल का उपयोग उचित उद्योगशीलता और क्षमता के साथ होना चाहिए। लाइसेंस के अधीन आयात किए गए माल की प्राप्ति की तिथि से कम से कम चार वर्षों की अवधि के लिए आयातक (i) ऐसे माल की पहिचान के लिए आवश्यक और उस के उपयोग का सभी सम्बन्धित रिकार्ड रखना, (ii) क्रेडिट की रकम के खर्चे से सम्बन्धित और ऐसी रकमों से प्राप्त माल और सेवाओं से सम्बन्धित ऐसी सूचना भारत सरकार को प्रस्तुत करेगा या प्रस्तुत कराने का कारण उत्पन्न करेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगी जाए, और (iii) भारत सरकार के प्रतिनिधियों और स्वीडन के अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण को ऐसे माल और सेवाओं के उपयोग का अध्ययन करायेगा यदि वे ऐसा करने का अनुरोध करें।

27. भारतीय आयातक और विदेशी संभरकों के बीच यदि कोई विवाद उठेगा तो भारत सरकार उसके लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी।

28. भारतीय आयातक को आयात लाइसेंस से सम्बन्धित किसी एक मामले या सभी मामलों के सम्बन्ध में और स्वीडन के प्राधिकारियों के साथ क्रेडिट समझौते के अन्तर्गत सभी दायित्वों को पूर्ण करने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों, अनुदेशों या आदेशों का तुरन्त पालन करना होगा।

29. इसमें निर्धारित किसी शर्त को किसी प्रकार उल्लंघन या भंग करने पर आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के और उसके अन्तर्गत जारी किए गए आदेशों के अधीन समुचित कार्रवाई की जाएगी।

अनुबन्ध-1

(कण्डिका ii)

विनिमय की केंद्रीय दर की सारणी

देश	मुद्रा	विदेशी मुद्रा के एक यूनिट के समतुल्य (रुपये)
ऑस्ट्रेलिया	डालर (ए)	8.851
ऑस्ट्रिया	शिलिंग	0.312
बेल्जियम	फ्रैंक	0.162
डेन्मार्क	क्रोनर	1.043
फ्रांस	फ्रैंक	1.422
इटली	लीअरा	0.013
जापान	येन	0.024
नीदरलैंड्स	गिल्डर	2.243
न्यूजीलैंड	डालर (एन)	8.851
नार्वे	क्रोनर	1.095
स्वीडन	क्रोनर	1.512
स्विटजरलैंड	फ्रैंक	1.896
पश्चिम जर्मनी	डी एम	2.259
संयुक्त राज्य अमेरिका	डालर	7.279
यू० के०	पौंड	18.968
यूगोस्लाविया	दीनार	0.428

अनुबन्ध 2

(बी प्रतियों में)

[कण्डिका 20 (4)]

सेवा में

सचिव,

वित्त मंत्रालय,

आर्थिक कार्य विभाग,

डब्ल्यू ई-1 अनुभाग, नार्थ ब्लॉक,

नई दिल्ली-1

विषय :—भारत-स्वीडन विकास सहयोग समझौता, 1973—इसके अन्तर्गत आयात ।

महोदय,

उपर्युक्त क्रेडिट के अन्तर्गत _____ के

(माल अथवा सेवाओं का संक्षिप्त विवरण)

आयात के सम्बन्ध में हम निम्नलिखित ब्यौरे भेजते हैं :—

(क) आयातक का नाम तथा पता ।

(ख) लाइसेंस :

- (1) संख्या
- (2) दिनांक
- (3) धन-राशि
- (4) कब तक वैध है
- (क) संविदा के लिए
- (ख) पोत लदान के लिए
- (ग) विदेशी संभरक का नाम तथा पता
- (घ) संविदा का दिनांक
अथवा
- (ङ) आदेश के लिए संभरक
के अन्तिम अनुमोदन पत्र
का दिनांक
- (च) आयात किए जाने वा माल का
संक्षिप्त विवरण

विदेशी मुद्रा में समतुल्य भारतीय रुपये में

(छ) संविदा का मूल्य : जहाज पर

निशल्क मूल्य	_____
भाड़ा	_____
बीमा :	_____
कुल :	_____
दिनांक	_____

विदेशी मुद्रा में लदान का
मूल्य

(ज) संविदा में यथा निर्धारित संभरण
की अनुसूचियों के आधार पर
विभिन्न तिथियां जिन को उपकरण
लदान किए जायेंगे अथवा सेवाएं
निष्पादित की जाएंगी, प्रत्येक
लदान अथवा निष्पादित सेवाओं
का मूल्य

दिनांक विदेशी मुद्रा में राशि

(झ) वह तिथि जिसको संविदा के अन्तर्गत भुगतान करने होंगे।

(1) अग्रिम भुगतान के सम्बन्ध में

(2) अन्य भुगतानों के सम्बन्ध में

(ञ) विदेशी मद्रा विनिमय में प्राधिकृत उम व्यापारी / बैंक का नाम और पता जिस के माध्यम से साख पत्र खोलने के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी :

(ट) उम विदेशी बैंकर का नाम और पूरा पता जिस के साथ साख पत्र स्थापित किए जाएंगे।

2. संविदा (अथवा प्रत्येक आदेश तथा स्वीकृति पत्र) तथा संशोधन (यदि कोई हो) की चार प्रमाणित प्रतियां तथा आयात लाइसेंस की दो फोटो स्टेट प्रतियां संलग्न की जाती हैं।

3. आप से अनुरोध किया जाता है कि भारत स्वीडन विकास सहयोग समझौता, 1973 के अन्तर्गत वित्तदान के लिए संविदा अनुमोदित करा लें और उपर्युक्त संकेतित उन के बैंकर के माध्यम से संभरकों को भुगतान के लिए प्राधिकार जारी करें।

भवदीय

लाइसेंसधारी

अनुबन्ध - 3

संख्या 1.

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

प्राधिकार पत्र

संख्या _____

सेवा में,

(भारतीय बैंकर)

विषय - भारत स्वीडन विकास सहयोग समझौता, 1973 खण्ड के अन्तर्गत की गई संविदा।

प्रिय महोदय,

सर्वश्री _____ ने भारत स्वीडन विकास सहयोग (भारतीय आयातक)

समझौता 1973 के अन्तर्गत जारी किए गए लाइसेंस संख्या : _____

दिनांक _____ मूल्य _____ के मद्दे (_____)

(शब्दों में) रु० की धनराशि लागत बीमा भाड़ा भाड़ा/लागत तथा भाड़ा के लिए _____

_____ का संभरण करने के लिए सर्वश्री _____

(विदेशी संभरक)

के साथ संविदा कर ली है। संविदा की एक प्रति संलग्न की जाती है।

2. आपको इस मंत्रालय को सूचना देते हुए इस पत्र के जारी होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर _____ के नाम में उनके बैंकर अर्थात् (विदेशी संभरक)

_____ के माध्यम से साख-पत्र खोलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

3. साख-पत्र खोलने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि भारतीय आयातक के पास वैध आयात लाइसेंस है।

4. मुद्रा विनिमय नियंत्रण नियम पुस्तक के खंड 7 की कंडिका 10 के अनुसार आपके लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि साख-पत्र के समाप्त होने की तिथि संबद्ध आयात लाइसेंस में यथा अभिव्यक्त पोत लदान के लिए अन्तिम तिथि के बाद 45 दिनों में अधिक की नहीं है।

5. साख-पत्र में यह भी व्यवस्था होगी कि सर्वश्री _____ (विदेशी बैंकर)

अपरक्राम्य पोत लदान दस्तावेजों के एक सेट को इस सम्बन्ध में सीधे ही सहायता लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, जीवन दीप बिल्डिंग पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजेगा कि प्रत्येक भुगतान पूरा कर दिया गया है।

6 कृपया पत्र प्राप्त की सूचना दें।

भवदीय,

अवर सचिव।

सविज्ञा की एक प्रति के साथ प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :—

रिजर्व बैंक आफ इंडिया, मुद्रा विनिमय नियंत्रण विभाग _____ (स्थान का नाम)

सूचना के लिए निम्नलिखित को प्रतिलिपि प्रेषित :—

1 _____ (भारतीय आयातक)

2. _____ (विदेशी संभरक)

3 _____ (विदेशी बैंक)

यह निवेदन किया जाता है कि प्रत्येक भुगतान पर भुगतान परामर्श के साथ पोत परिवहन तथा अन्य दस्तावेजों (अपरक्राम्य) का एक सेट सीधे ही सहायता लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली (भारत) को भेजा जाए।

2 सविज्ञा तथा आयात लाइसेंस की एक प्रति के साथ सहायता लेखा नियंत्रक को।

भवदीय,

अवर सचिव।

अनुबन्ध 4

(कड़िका 25)

आयातों के सम्बन्ध में अल्प अवतरण, क्षति आदि के लिए दावों के निपटान के मद्दे विदेशी संभरकों/पोत वणिकों/बीमा कर्त्ताओं से प्राप्त धन-वापसियों के व्योरो को दर्शाने वाली रिपोर्ट।

1. भारतीय आयातक का नाम
2. आयात लाइसेंस की संख्या तथा दिनांक
3. आयात लाइसेंस का मूल्य
4. प्राधिकार-पत्र की संख्या तथा दिनांक
5. प्राप्त की गई धन-वापसी की गणि
6. उस की किस्म और धन-वापसी
(संक्षिप्त व्योरे दें)
7. उस सम्बद्ध प्रपत्र 'ए' के लिए संदर्भ जिस के अन्तर्गत विदेशी संभरको को प्रारम्भिक भुगतान किया गया था। (वित्त मंत्रालय को प्रपत्र 'ए' भेजते समय भारतीय बैंकर का नाम तथा उन के पत्र की सं० तथा दिनांक का संकेत करें)
8. क्या प्राप्त धन-वापसियों का प्रयोग माल की बदलाई के लिए किया जाना है या नहीं; यदि नहीं, तो इस बात का सुनिश्चय कर लें कि विदेशी मुद्रा दि. रि. म. के भीतरी प्रेषण द्वारा वास्तव में धनगणि प्राप्त कर ली गई है और इसे रुपये में भुना लिया गया है।
9. अन्य कोई आवश्यक व्योरे।

आयात करने वाली फर्म के
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

सेवा में,

सहायता लेखा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय, (आर्थिक कार्य विभाग)
जीवन दीप बिल्डिंग,
पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली।

SUBJECT :—*Import Policy for the year April, 1973—March, 1974.*

No. 128-ITC(PN)/73.—Attention of importers is invited to the import policy as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April, 1973—March, 1974.

2. The following amendments shall be made at the appropriate places in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April, 1973—March, 1974 :—

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments
1	2	3
137—157	Section V, Appendix 14.	The existing entries appearing in Appendix 14 as given in the Annexure to this Public Notice may be deemed to have been substituted by the revised entries shown against them.

1	2	3
140	Section V, Appendix 14(1) (b)	Under the heading "SPECIAL BALL BEARINGS" the following entries may be deemed to have been inserted under the respective columns :—

I.S.I. No.	Equivalent Hoffman No.	Equivalent SKF No.	Bearing Dimensions		
			Bore	Outside dia.	Width
1	2	3	4	5	6

Jeep Part No. 808129 (Water Pump Bearing)		G885141	15·918 mm	30mm	127·794mm
---	--	---------	--------------	------	-----------

Page No. of the Red Book (Volume I)	Reference	Details of amendments
---	-----------	-----------------------

157	Section V, Appendix 14 (6)(b)—Restricted types of Tapered Roller Bearings	The following entries may be deemed to have been inserted under the respective columns :—
-----	---	---

I.S.I. No.	Equivalent SKF No.	Bearing Dimensions		
		Bore	Outside dia.	Width
1	2	3	4	5
	AK-535/K532A	44·45mm (1·75")	111·125mm (4·375")	36·957mm (1·455")
	CK 495/K 493	82·55mm (3·25")	136·525mm (5·375")	26·769mm (1·172")

ANNEXURE

Page No. of the Red Book (Vol. I) for April, 1973— March, 1974	Appendix No.	Bearing size (SKF Reference)	Existing entry in the Red Book (Vol. I) for April, 1973—March, 1974	Revised entry
--	--------------	---------------------------------	--	---------------

1	2	3	4	5
138	14(1) (a)	RIV No.10016	NBC NBB 1014 (under column 2)	NBC No. BB1014
142	14(2)(a)	1509E	31·8mm (1 1/2") (under column 4)	38·1 mm (1 1/2")

1	2	3	4	5
142	14(2)(a)	2206	22 mm (under column 6)	20 mm
142	14(2)(a)	2509E	(1) 85 mm (2-1/4") (under column 5) (2) 23 mm (3/8") (under column 6)	85 mm 23 mm
143	14(2)(a)	51108L	..	Bearing number may be read as 51109L
144	14(2)(a)	09	48·41875 mm (1·29/23 (under column 5)	48·41875 mm (1·29/32")
144	14(2)(a)	011	56·35625 (2·7/32") (under column 5)	56·35625 mm (2·7/32")
144	14(2)(a)	012	38·1 mm (1 1/4") (under column 4)	38·1 mm (1 1/2")
144	14(2)(a)	T9	22·225 mm (7·8") (under column 6)	22·225 (7/8")
146	14(3)(a)	6211	115 (under column 2)	155
146	14(3)(a)	2211	U1155W (under column 2)	U 155W
146	14(3)(a)	51314	50 mm (under column 6)	40 mm
148	14(3)(b)	—	DEEP GROVE SINGLE ROW RADIAL BALL BEARINGS (heading)	DEEP GROVE SINGLE ROW RADIAL BALL BEARINGS
148	14(3)(b)	U 175W (Hoffman No.)	221W (under column 3)	2215W
149	14(4)(a)	..	Thrust Ball Bearings (heading)	Thrust Ball Bearings.
150	14(4)(b)	51120	110 mm (under column 4)	100mm
151	14(5)(a)	CRL6	19·05 (3/4") (under column 4)	19·05 mm (3/4")
152	14(5)(a)	WJ 4 1/2" × 8"	..	Bearing number may be read as WJ 4-1/4"X8".
154	14(6)(a)	32212	(3977×73922X) (Equivalent No. given in column 2)	3977x3922X
154	14(6)(a)	CK-02872/K- 02820	22·225 mm (0·875") (under column 5)	22·225 mm (0·875")
155	14(6)(a)	KT 126 (with and without hole)	..	(1) Bearing number may be read as KT 126X (with and without hole) (ABC No.T126L)
	—	AB No.T126L		(2) The outside dia. given as 56·563 mm may be read as 55·563 mm.
155	14(6)(a)	CK-55176C/ K-5543	..	Bearing number may be read as under :— CK-55176C/K-55443.

1	2	3	4	5
155	14(6)(a)	CK-55187C/K-55433	26.90876mm (1.05994") (under column 5)	26.90876mm (1.0594")
156	14(6)(a)	ABCNo. PAB12435 (under column 1)	1838057/57 (under column 2)	1838057/58
156	14(6)(a)	Foot Note No.2	'tested' (in line 2)	'listed'
157	14(6)(b)	CK-NA48686/K NA 48620D	Equivalent Bower No. has not been given.	This may be incor- porated in bracket below the SKF No. as under:— (Bower NA48686/ NA 48620D)

S. G. BOSE MULLICK.

Chief Controller of Imports and Exports.

विषय: अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 वर्ष के लिए आयात नीति ।

संख्या 128-आई० टी० सी० (पीएम)/73—अप्रैल 1973—मार्च, 1974 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक—वा० 1) में यथा निहित आयात नीति की ओर आयातकों का ध्यान दिलाया जाता है ।

2. अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक वा० 1) में निम्नलिखित संशोधन उचित स्थानों पर किए जाएंगे:—

रेड बुक (वा० 1)

की पृष्ठ संख्या

संदर्भ

संशोधनों के वर्णन

1	2	3
137—157	खंड 5, परिशिष्ट 14	परिशिष्ट 14 में प्रदर्शित वर्तमान प्रविष्टियां जो हम सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध में दी गई हैं वे उनके सामने प्रदर्शित की गई परिशोधित प्रविष्टियों द्वारा प्रतिस्थापित की गई समझी जाएं ।
140	खंड 5, परिशिष्ट 14(1) (बी)	“स्पेशल बाल वियरिंग्स” शीर्षक के अन्तर्गत संबंधित कालमों में निम्नलिखित प्रविष्टियां निविष्ट की गई समझी जाएं:—

आई० एस० आई० सं०	तुल्य हाफ- मन संख्या	तुल्य एस के एफ संख्या	बियरिंग—परिमाण		
			बोर	बाहरी व्यास	घोड़ाई
1	2	3	4	5	6
जीप पार्ट संख्या: 808129 (वाटर पम्प बियरिंग)	—	जी 885141	15.918 मि० मी०	30 मि० मी०	127.794 मि० मी०
रेड बुक (वा० 1) की पृष्ठ संख्या संदर्भ संशोधनों के व्योरे					
157	खंड 5, परिशिष्ट 14(6)(बी) प्रतिबंधित किस्म के टेपर्ड रोलर बियरिंग्स	निम्नलिखित प्रविष्टियां सम्बन्धित कालमों में निविष्ट की गई समझी जाएं:—			
आई० एस० आई संख्या	तुल्य एस के एफ संख्या	बियरिंग—परिमाण			
		बोर	बाहरी व्यास	घोड़ाई	
1	2	3	4	5	
	एके-535/ के 532ए	44.45 मि० मी० (1.75")	111.125 मि० मी० (4.375")	36.957 मि० मी० (1.455")	
	सीके 495/ के 493	82.55 मि० मी० (3.25")	136.525 मि० मी० (5.375")	26.769 मि० मी० (1.172")	

अनुबंध

अप्रैल 1973—

मार्च, 1974 परिशिष्ट संख्या

की रेड

बुक¹

(बा० 1)

की पृष्ठ

संख्या

बियरिंग—

साइज

एसकेएफ

संदर्भ

अप्रैल, 1973—

मार्च, 1974 की रेड

बुक (बा० 1) में

वर्तमान प्रविष्टि

परिशोधित प्रविष्टि

1	2	3	4	5
138	14(1)(ए)	आरआरईवी संख्या 10016	एनबीसीएनबीवी 1014 (कालम 2 में)	एनबीसी सं० बीबी 1014
142	14(2)(ए)	1509ई	31.8 मि०मी० (1.1/2") (कालम 4 में)	38.1 मि०मी० (1.1/2")
142	"	2206	22 मि०मी० (कालम 6 में)	20 मि०मी०
142	"	2509ई	(1) 85 मि०मी० (2.1/4") (कालम 5 में) (2) 23 मि०मी० (3/8") (कालम 6 में)	85 मि०मी० 23 मि०मी०
143	"	51108 एल	—	बियरिंग की संख्या 5109 एल पढ़ी जाए।
144	"	ओ9	48.41875 मि०मी० (1.29/23") (कालम 5 में)	48.41875 मि०मी० (1.2/932")
144	"	ओ11	56.35625 (2.7/32") (कालम 5 में)	56.35625 मि०मी० (2.7/32")
144	"	ओ12	38.1 मि०मी० (1.1/4") (कालम 4 में)	38.1 मि०मी० (1.1/2")

1	2	3	4	5
144	12(2)(ए)	टी9	22.225 मि०मी० (7.8") (कालम 6 में)	22.225 (7/8")
146	14(3)(ए)	6211	115 (कालम 2 में)	155
146	"	2211	यू 1155 डब्ल्यू (कालम 2 में)	यू 155 डब्ल्यू
146	"	51314	50 मि०मी० (कालम 6 में)	40 मि०मी०
148	14(3)(बी)	—	डीप ग्री सिगल रो रेडियल बाल बियरिंग्स (शीर्षक)	डीप ग्री सिगल रो रेडियल बाल बियरिंग्स
148	"	यू 175 डब्ल्यू (हाफ मन सं०)	221 डब्ल्यू (कालम 3 में)	2215 डब्ल्यू
149	14(4)(ए)	—	ट्रस्ट बाल बियरिंग्स (शीर्षक)	थ्रस्ट बाल बियरिंग्स
150	14(4)(बी)	51120	110 मि०मी० (कालम 4 में)	100 मि०मी०
151	14(5)(ए)	सीआरएल 6	19.05 (3/4") (कालम 4 में)	19.05 मि०मी० (3/4")
152	"	डब्ल्यू जे 4.1/2" × 8"	—	बियरिंग की संख्या डब्ल्यू जे 4.1/4" × 8" पढ़ी जाए
154	14(6)(ए)	32212	(3977 एक्स/ 73922 एक्स) तुल्य संख्या कालम 2 में दी गई है ।	3977 एक्स/ 3922 एक्स
154	"	सीके-ओ 2872/के- ओ 2820	22.225 मि०मी० (0.875") (कालम 5 के अन्तर्गत)	22.225 मि०मी० (0.875")

1	2	3	4	5
155	14(6)(ए)	केटी 126 (सूराख सहित और सूराख के बिना) एबी सं० टी 126 एल	—	(1) बियरिंग संख्या केटी 126 एक्स पढ़ी जाए (सूराख के साथ और बिना सूराख) (एबीसी सं० टी 126 एल)
				(2) बाहरी व्यास जो 56.563 मि०मी० दिया गया है, को 55.563 मि०मी० पढ़ा जाए।
155	„	सीके— 55176सी/ के—5543	—	बियरिंग संख्या निम्न- प्रकार पढ़ी जाए:— सीके—55176सी/के— 55443
155	„	सीके— 55187 सी/के— 55443	26.90876 मि०मी० (1.05994") (कालम 6 में)	26.90876 मि०मी० (1.0594)
156	„	एबीसी सं० पीएबी 12435 (कालम 1 में)	1838057/57 (कालम 2 में)	1838057/58
156	„	पाद टिप्पणी संख्या 2	‘टेस्टिड’ (पंक्ति 2 में)	‘लिस्टिड’
157	14(6)(बी)	सीके—एनए 48686/ के—एनए 48620 डी०	तुल्य बोवर संख्या नहीं दी गई है	इसको उसके एक संख्या के नीचे कोष्ठक में निम्नप्रकार से निविष्ट किया जाए:— (बोवर एनए 48686/एनए 48630 डी)

एस० जी० बोस मल्लिक
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

